

Moll
उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या- /ix-1/17/25/2015
देहरादून दिनांक : १1, दिसम्बर, 2017
अधिसूचना



अधिसूचना संख्या-316/ix-1/25/2015, दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को अवक्रमित करते हुए द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार में राज्य सड़क सुरक्षा एवं अनुश्रवण समिति का गठन करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- | | | |
|-----|------------------------------------------|------------|
| 1- | मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | अध्यक्ष |
| 2- | प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 3- | प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग | सदस्य |
| 4- | प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा विभाग | सदस्य |
| 5- | प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 6- | प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग | सदस्य |
| 7- | प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग | सदस्य |
| 8- | प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग | सदस्य |
| 9- | प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 10- | पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 11- | आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल। | सदस्य |
| 12- | आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल। | सदस्य |
| 13- | परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 14- | मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 15- | सीमा सड़क संगठन के अधिकारी | सदस्य |
| 16- | क्षेत्रीय अधिकारी, एन0एच0ए0आई0। | सदस्य |
| 17- | प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग | सदस्य सचिव |

2- यह समिति राज्य स्तर पर लीड एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए सड़क सुरक्षा एवं मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने हेतु नीतियों का निर्माण एवं उनके अनुपालन का अनुश्रवण करेगी। समिति की वर्ष में कम से कम 02 बैठके होगी तथा समिति अपनी बैठकों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या 878 (1)/ix-1/56(2010)/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समिति के अध्यक्ष/समस्त सदस्य।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संयुक्त, निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(डी0 सेन्थिल पाण्डयन)
सचिव।